आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

पी.डी.एस. रिविजन वाद संख्या –32 / 2022

उर्मिला देवी

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ ।
23.01.2023	यह अपील वाद माननीय उच्च न्यायालय, बिहार, पटना में सी. डब्लू.जे.सी. संख्या 14336 / 2021 उर्मिला देवी बनाम राज्य सरकार व अन्य में दिनांक 17.01.2022 को पारित आदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी की अध्यक्षता में दिनांक–11.07.2017 को लिये गये निर्णय के विरुद्ध दायर किया गया है एवं यह मामला अनुकम्पा के आधार पर अनुाप्ति निर्गत करने से संबंधित है। माननीय उच्च न्यायालय का न्यायादेश निम्नवत हैः– **" Learned counsel for the State states that if any such proceeding is initiated before the appropriate authority within the aforesaid period, limitation shall not come in the way and the same shall be heard on merits, to be decided within a period of three months from the date of its filing.** **We only hope and expect the appropriate authority to consider and decide the issue on its merit and with reasonable dispatch.** **We clarify that we have not expressed any opinion on facts and law. All issues are left open.** **Learned counsel for the parties undertake not to take any unnecessary adjournment in such proceedings."** पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार पुनरीक्षणकर्ता	

WEB COPY NOT OFFICIAL

के आवेदन पत्र में प्रतिनिधि प्रचायत निर्वाचन नहीं होने का शपथ पत्र आटा चक्की से संबंधित प्रतिवेदन, मैट्रिक से संबंधित उतीर्णता प्रमाण–पत्र अप्राप्त दर्शाया गया है, जिसको आधार मानकर जिला स्तरीय चयन समिति ने पुनरीक्षणकर्ता के अनुज्ञप्ति आवेदन को अस्वीकृत कर दिया। आगे इनका कहना है कि जन वितरण प्रणाली विक्रेता की मृत्यु दिनांक 11.07.2013 को हो गयी तथा मृतक की पत्नी द्वारा 19.08.2013 को अनुकम्पा के आधार पर अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन विहित प्रपत्र में दिया गया था। यदि उनके अनुकम्पा आवेदन पत्र में पुनरीक्षणकर्ता का मैट्रिक प्रमाण–पत्र नहीं पाया गया तो चयन समिति द्वारा नोटिस निर्गत कर संबंधित प्रमाण–पत्र की मांग करना चाहिए, जो नहीं किया गया। इस प्रकार पुनरीक्षणकर्ता के अनुकम्पा आवेदन को सही से विचार दिये बगैर उनके अनुकम्पा अनुज्ञप्ति आवेदन को अस्वीकृत कर दिया है जो गलत है। पुनरीक्षणकर्ता का दावा है कि जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के अध्यक्षता में दिनांक 15.11.2017 की बैठक में अनुकम्पा के आधार पर अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु विभागीय अधिसुचना सं0 1750, दिनांक 10.03. 2016 के कंडिका 9(v) तथा अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार पटना के पत्रांक 4842, दिनांक 25.09.2017 के आलोक में अस्वीकृत कर दिया गया, जो गलत एवं नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध है।

पुनरीक्षणकर्ता को उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से सुनने, वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख में पोषित कागजातो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत मामला अनुकम्पा अनुज्ञप्ति से संबंधित है । इस वाद के पुनरीक्षणकर्ता (उर्मिला देवी) के पति जन वितरण प्रणाली विक्रेता थे (स्व0 प्रमोद कुमार) जिनकी अनुज्ञप्ति सं0 225/86 थी, की मृत्यु 11.07.2013 को हो गई। उनके मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी उर्मीला देवी द्वारा अनुकम्पा अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन दिया गया। जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा दिनांक 11.07.2017 को लिए गये निर्णय में पुनरीक्षणकर्ता के प्रतिनिधि पंचायत निर्वाचन नहीं होने के शपथ

WEB COPY NOT OFFICIAL

पत्र, शैक्षणिक योग्यता एवं आटा चक्की से संबंधित प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के आधार पर विभागीय अधिसुचना सं0 1750 दिनांक 10.03.2016 के क्रमांक 9 के बिंदु 5 तथा अपर सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार पटना के पत्रांक 4842 दिनांक 25.09.2017 के आलोक में अस्वीकृत कर दिया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध यह वाद इस न्यायालय में दायर किया गया है।

उल्लेखनीय है कि पुनरीक्षणकर्ता के पति की मृत्यु दिनांक 11.07.2013 को हुई। उर्मिला देवी (इस वाद के पुनरीक्षणकर्ता) ने दिनांक 19.08.2013 को अनुकम्पा अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन दिया, जो समय सीमा के अंदर है एवं बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण), आदेश 2016 के नियम 10 के अनुसार है। उक्त आवेदन पर प्रखण्ड आपूर्त्ति पदाधिकारी, डुमरा, सीतामढ़ी ने दिनांक 29.08.2013 को अपना जाँच प्रतिवेदन दिया। इसके बावजूद जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा दिनांक 15.11.2017 को निर्णय दिया गया, जो अपने आप में अप्रत्याशित विलंब है। जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा लिये गये निर्णय में पुनरीक्षकर्ता के अनुज्ञप्ति आवेदन के अस्वीकृति के जो कारण दिये गये हैं उसमें प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा दिये गये जॉच प्रतिवेदन को आधार मानकर किया गया है। परन्तु निम्न न्यायालय के अभिलेख में यह कहीं संरक्षित नहीं है कि पुनरीक्षकर्ता के अनुकम्पा आवेदन में पाये गये त्रुटि के लिए कोई पत्राचार हुआ हो, एवं अनुकम्पा अनुज्ञप्ति आवेदन के त्रुटि के निराकरण का किसी के द्वारा कोई प्रयास किया गया हो। निम्न न्यायालय के अभिलेख में उर्मिला देवी का बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड से मध्यमा का प्रमाण पत्र संलग्न है जिसका प्रमाण पत्र संख्या CE02739 पृ0 05 पर एवं चार शपथ पत्र अभिलेख के पृष्ठ संख्या–12, 13, 14 एवं 15 पर संलग्न है। सुनवाई के दौरान पूछे जाने पर पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने पुनरीक्षणकर्ता के मैट्रिक के प्रमाण पत्र की छायाप्रति दाखिल किया गया, जिसका प्रमाण पत्र सं0 21029468 है एवं वर्ष 1993 में ही उत्तीर्ण दर्शाया

WEB COPY NOT OFFICIAL

	गया है। उक्त तथ्यों से यह साबित होता है कि निम्न न्यायालय का आदेश न केवल त्रुटिपूर्ण है बल्कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के भी प्रतिकूल है। उपर्युक्त के आलोक में अनुकम्पा अनुज्ञप्ति हेतु जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा दिनांक 15.11.2017 को लिये गये निर्णय में अप्रत्याशित विलंब, एवं उनके द्वारा लिये गये निर्णय को त्रुटिपूर्ण पाते हुए प्रस्तुत वाद को जिला स्तरीय चयन समिति, सीतामढ़ी को इस निदेश के साथ वापस किया जाता है कि वे पुनरीक्षणकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए वाद के गुण दोष पर विचारोपरांत यथाशीघ्र नियमानुकूल आदेश पारित करें। निम्न न्यायालय का अभिलेख वापस करें। **लेखापित एवं संशोधित** **आयुक्त** **आयुक्त**	

WEB COPY NOT OFFICIAL